

# कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण

## कम्पनीबाग, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक-1126/02 / डूडा, लखीमपुर-खीरी / 2026-27

दिनांक- 13.05.2026

### ई-निविदा प्रणाली के अंतर्गत निविदा सूचना

जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा, लखीमपुर-खीरी में मा0 सांसद/मा0 विधायक एवं मा0 जनप्रतिनिधि गण द्वारा प्रस्तावित ई-निविदा प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को उनके पंजीकरण की सीमान्तगत निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक-15.05.2026 से 05.06.2026 तक पूर्वान्ह 12.00 बजे के मध्य ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदा पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है निविदा के साथ अग्रिम जमानत धनराशि एफडीआर की प्रतिलिपि अपलोड की जानी है, डाली गई निविदा का पोर्टल से मुख्य बिड डॉक्यूमेंट कार्य विवरण सहित प्रिन्ट कराकर मूल एफडीआर सलंगन कर दिनांक-05.06.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा की जा सकेगी तथा ई-निविदा दिनांक-08.06.2026 को निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थित में पूर्वान्ह 12.00 बजे स्थान कलेक्ट्रेट सभागार में आनलाइन खोला जायेगा। टेक्निकल बिड में क्वालीफाई होने पर ही फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। सम्बन्धित निविदा शर्तें एवं समस्त विस्तृत विवरण ई-टेण्डरिंग की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है तथा समस्त बिड डाक्यूमेंट उल्लिखित वेबसाइट पर दिनांक-15.05.2026 से 05.06.2026 तक उपलब्ध है। किसी भी ई-निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, (डूडा), लखीमपुर-खीरी को निहित होगा। अन्य समस्त नियम/शर्तें तथा निविदा प्रपत्र पोर्टल पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश में स्वीकृति धनराशि लाख में	सेन्टेजचार्ज व अन्य की कटौती के बाद बीओक्यू लागत लाख में	जमानत धनराशि लाख में	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्णावधि माह में
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	गोला	मा0 अर्जुननगर वार्ड-12 में लखीमपुर रोड से बंधन गेस्ट हाउस तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	42.90	33.51	3.36	944.00	6 माह
02.	गोला	मा0 मुन्नूगंज वार्ड-5 में सुनील गुप्ता के घर से श्री राम किशोर किराना वाले के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	34.31	26.80	2.68	944.00	3 माह
03.	गोला	मा0 मुन्नूगंज वार्ड नं0-21 में डा0 मुनीर अहमद के घर से श्री हाजी रसीद के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	29.73	23.22	2.33	944.00	3 माह
04.	निघासन	मोहल्ला अशोकनगर वार्ड नं0-7 में कृषि प्रसार भवन के पास से सीताराम कनौजिया के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली की निर्माण कार्य	97.09	75.85	7.59	944.00	6 माह


05.	मैलानी	मो0खाले कालोनी वार्ड-03 में आश्रम रोड से छोटेदाल के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण	36.39	28.43	2.85	944.00	3 माह
06.	मैलानी	मो0खाले कालोनी वार्ड-03 में कार्के के मकान से नारंग रोड तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण व पथ प्रकाश कार्य	64.71	50.56	5.06	944.00	6 माह
07.	मैलानी	मो0 काली मन्दिर वार्ड नं0-7 में सलीम के मान से सिददीकी मार्केट तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य	68.09	53.19	5.32	944.00	6 माह
08.	मैलानी	मो0 काली मन्दिर वार्ड नं0-7 में सुरेन्द्र मिश्रा के मकान से पलिया रोड तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य	38.15	29.81	2.99	944.00	3 माह
09.	मैलानी	मो0 सुआबोझ वार्ड नं0-10 में प्राथमिक विद्यालय सुआबोझ से अन्तोष्टि स्थल मोड़ तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य	72.65	56.76	5.68	944.00	6 माह
10.	मैलानी	मो0दामोदर वार्ड नं0-06 में दिनेश सिंघल के मकान से रमाशंकर पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य	52.61	41.10	4.11	944.00	6 माह
11.	मैलानी	मो0 ईदगाह वार्ड-12 में नरेश गोयल के मकान से सुभाष गोयल के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण एवं पथ प्रकाश का कार्य	12.80	10.00	1.00	856.00	3 माह
		कुलयोग-	549.43	429.23	-	-	-

#### निविदा नियम व शर्तें-

01. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल कर उपरोक्तानुसार रहेगी।
02. निविदा प्रपत्र मूल्य कालम-7 के अनुसार जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर-खीरी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में जमा करना होगा।
03. प्रत्येक निविदा के साथ जमानत धनराशि जैसा कि उपरोक्त कालम-6 में दर्शाया गया है, को सलंगन करना अनिवार्य होगा, जो एनएससी/शिड्यूल कार्मशियल बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में परियोजना निदेशक, (डूडा), खीरी के पक्ष में बंधक होगी, जोकि निविदा की वैधता से 90 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य होगा।
04. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
05. निविदा प्रपत्र में वांछनीय समस्त आवश्यक प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति एवं एफिडेविट के रूप में अपलोड करना होगा।
06. अन्तिम रूप से कोई भी निविदा स्वीकृत करना या अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, लखीमपुर-खीरी में निहित रहेगा।

07. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा संबंधी जैसा कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परियोजना अधिकारी, लेखाकार, डूडा के पद पर आसीन हों, के दौरान उक्त संबंधी को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, इसके अतिरिक्त कोई सेवानिवृत्त उपरोक्त अधिकारी या कर्मचारी भी यदि बिना अनुमति के कार्य करते हुए पाया गया तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 08.. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
09. 15 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों की निविदाओं को स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. 15 प्रतिशत से कम तक की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
11. 10 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदा डाले जाने पर 1.00 प्रतिशत की दर से सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी।
12. शासनादेश संख्या-962/नौ-9-2017/81ज/17 दिनांक-17.10.2017 के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान फर्म द्वारा वास्तविक बाउचर प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति की जायेगी।
13. ई-निविदा पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर आनलाइन डाली गई निविदायें की जमानत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क की मूल प्रति डाली गई निविदा का पोर्टल से मुख्य पृष्ठ कार्य विवरण सहित सलंगन कर बन्द लिफाफों में जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर-खीरी स्थित परियोजना अधिकारी के कार्यालय में दिनांक-05.06.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निर्धारित समयान्तर्गत जमा किया जायेगा।
14. निविदादाताओं को लिफाफों पर कार्य का नाम, मोबाइल नम्बर, ई-निविदा सूचना संख्या/निविदा सूचना में अंकित कार्य की क्रम संख्या व दिनांक कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये अन्यथा ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी।
15. पंजीकृत ठेकेदार को अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा।
16. ई-निविदा से पूर्व दिनांक-20.05.2026 को परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कम्पनी बाग, लखीमपुर-खीरी के कार्यालय में अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की गई है, जिसमें ई-निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निवारण किया जायेगा जैसाकि बिड डाक्यूमेंट क्लोज 9.2 में व्यवस्था दी गई है।
17. कार्यों हेतु अर्ह पाये जाने के बाद सम्बन्धित ठेकेदार के पंजीकरण हेतु श्रेणी-ए हेतु इच्छुक ठेकेदार विगत तीन वर्षों में कम से कम दो करोड़ से अधिक लागत के सफलता पूर्वक कार्य किये हो। श्रेणी-बी हेतु इच्छुक ठेकेदार विगत तीन वर्षों में कम से कम 75 लाख से अधिक लागत के कार्य किये हो एवं श्रेणी-सी हेतु इच्छुक ठेकेदार विगत तीन वर्षों में कम से कम 25 लाख से अधिक लागत के कार्य सफलतापूर्वक किये हो। कार्यावंटन की दशा में डूडा, खीरी में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य ठेकेदारों को श्रेणी-ए हेतु रूपया-60,000.00, श्रेणी-बी हेतु रूपया-40,000.00 एवं

- श्रेणी-सी हेतु रूपया-20,000.00 पंजीकरण शुल्क के रूप में 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा, जोकि विगत दो वर्षों तक के लिये अनुमन्य होगा। जमा की गई शुल्क की धनराशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी।
18. स्वीकृति निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
  19. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराने के उपरान्त कार्यादेश जारी होने पर उ0प्र0शासन/लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना होगा।
  20. निविदादाता निविदा के साथ रूपया-100.00 के स्टाम्प पर शपथपत्र तथा रूपया-100.00 के स्टाम्प पर रूपया-1.00 का रसीदी टिकट चस्पा कर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  21. निविदादाता को उन विभागों की प्रमाणित सूची अपलोड/प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसने निविदा के आधार पर सड़क व नाली निर्माण कार्य कराया हो, अन्यथा की दशा में निविदादाता को अयोग्य माना जायेगा।
  22. यदि निविदा डाले जाने के दिवस कार्यालय बंद रहता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में आमंत्रित की जायेगी।
  23. वर्तमान में वैध हैसियत प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  24. आयकर का पंजीकरण प्रमाणपत्र (पैनकार्ड) अपलोड/प्रस्तुत करना होगा।
  25. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड/प्रस्तुत करना होगा।
  26. टेण्डर से सम्बन्धित समस्त अपलोड किये गये प्रपत्र निविदा खोलते समय मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  27. तकनीकी निविदा के परीक्षणोंपरान्त कुल 200 अंकों में से न्यूनतम 120 अंक प्राप्त करने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में 120 अंकों से अधिक अंक पाने वाले निविदादाताओं को वरीयता दी जायेगी। कमागत आवंटित अंको के संबध में विस्तृत जानकारी प्री-बिड बैठक में निविदादाता कों दी जायेगी।

  
(परियोजना अधिकारी)  
डूडा, लखीमपुर-खीरी